

हुआ ह। जा दज राजस्टर हा। पत्रावला वास्त बहस हतू दिनाक ....


18/9/24 को पेश हो।

  
सहायक कलक्टर  
रियांबड़ी

18/9/24 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान SDO साहब  
अवकाश/दौरे/बाहर मितिग में पधारे है।  
मिसल दिनांक 27/9/24 को पेश हो।

27/9/24 - पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी  
हाजिर। वकील पार्थी की एक पक्षीय बहस  
शुनी गई। बहस पर मजबूत किया गया। पत्रावली  
पर उपलब्ध 21/9/24 के लाक्षणिक समावेजत  
व तहसीलदार रियांबड़ी की जांच रिपोर्ट का  
अवलोकन किया गया। समस्त विवरण से  
पार्थी का धर्मनाम स्विकार किया जाता है।  
तथा आदेश दिया जाता है कि मोजा सुरक्षा  
की संहद में स्थित ख. नं. 6/अ 392 रकबा  
0.3200 हेक्टर से दे 1/2 हिस्सा, खसरा नंबर  
620/394 रकबा 0.1200 हेक्टर, खसरा  
नंबर 621/390 रकबा 0.17000 हेक्टर, से दे  
1/2 हिस्सा, खसरा नं. 654 रकबा 1.1900 हेक्टर  
से दे 1/4 हिस्सा, 796/56 रकबा 0.0876 हेक्टर  
से दे 1/4 हिस्सा, ख. नं. 797/56 रकबा 4.7924 हेक्टर

29 जून नंबर 800157 रकबा 0.0510 हेक्टर जे.मु.  
 रास्ता, 29 जून नं 801157 रकबा 3.0790 हेक्टर जे.मु.  
 रकबा 8.0100 हेक्टर से ले 1/36 हिस्सा, 29 जून नंबर  
 55 रकबा 0.1800 हेक्टर जे.मु. युमा, 29 जून नंबर  
 343 रकबा 1.4600 हेक्टर से ले 1/2 हिस्सा वी.यूमि  
 में पार्सी का नाम मेहमूद खां उर्फ मेहमुद, उर्फ मेहमूद खां  
 उर्फ मेहमूद खां पुत्र हमीर खां वी जगह अहमद खां  
 पुत्र हमीर खां दर्ज किये जाने की आदेश दिये जाते  
 हैं। तहसीलदार शिवांबडी पार्सी का नाम राजलक्ष्  
 ईरुई में कुछ किये जाकर राजलक्ष् ईरुई में अमली  
 दरमद किया जायें। तहसीलदार शिवांबडी को  
 तहसीर जारी है। पञ्जाबी कंसल सुभाष दीव्य  
 बाद आपका कार्यालयी को नंबर के काम होकर दफ्तरी  
 दफ्तर है।

  
 उपखण्ड अधिकारी शिवांबडी  
 जिला-नागौर